महत्वपूर्ण

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
इलाहाबाद जोन।

मेरे संज्ञान यह आया है कि महिला विद्यालयों, कालेजों एवं अन्य प्रशिक्षण संस्थान आदि के खुलने व बन्द होने के समय आस-पास शरारती एवं मनचले लड़कों का जमावड़ा रहता है, जिनके द्वारा विद्यालय/कालेज के खुलने व बन्द होने के समय आने-जाने वाली छात्राओं के साथ छेड़खानी, छींटाकशी आदि की घटनायें की जाती है।

2- आप सभी अवगत होंगे कि महिलाओं व लड़कियों के साथ छेड़खानी/छींटाकशी की घटना अत्यन्त संवेदनशील घटना होती है, जिससे जनमानस, विशेषकर महिलाओं एवं स्कूली छात्राओं में असुरक्षा व भय की भावना व्याप्त होती है। अतएवऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन व उच्चाधिकारियों के स्तर से निर्गत किये जाने वाले दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए एक कार्ययोजना बनाकर प्रभावी ढंग से कार्यवाही सुनिश्चित कराया जाना पुलिस का दायित्व है। इस प्रकार की कार्यवाही से स्कूल/कालेज एवं विभिन्न कोचिंग संस्थानों में आने-जाने वाली लड़कियों व महिलाओं को एक सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण मिलेगा।

3- उल्लेखनीय है कि स्कूली लड़कियों व महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को नियंत्रित करना उ0प्र0 पुलिस बल एवं शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। इस सम्बन्ध में महिलाओं के प्रति घटित होने वाले ऐसे अपराधों की रोकथाम हेतु महत्वपूर्ण सुझाव इंगित किये जा रहे है, जिसका आप सभी प्राथमिकता से सम्पादन कराया जाना सुनिश्चित करें।

1. सर्वप्रथम जनपद के ऐसे महिला विद्यालय/कालेज आदि स्थानों को चिन्हित करा लिया जायें, जहॉ पर प्रायः स्कूली लड़कियों एवं महिलाओं के साथ छेड़खानी व चेन-स्नेचिंग आदि की घटनाएँ बार-बार घटित हो रही हैं।
2. चिन्हित ऐसे स्थानों के साथ-साथ नगर क्षेत्र में स्थित लड़कियों के स्कूल/कालेज, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों, बाजारों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, शापिंग माल्स, मल्टिप्लेक्स सिनेमा हाल, सुनसान एरिया आदि स्थानों पर प्रभावी पुलिस प्रबन्ध किया जाय।
3. महिला विद्यालयों/कालेजो के साथ-साथ भीड़-भाड़ वाले स्थलों यथा-सिनेमाघरों, शॉपिंग मॉलों, बाजारों आदि स्थानों पर पुलिस कर्मियों एवं महिला पुलिस कर्मियों को अति व्यस्ततम समय में सादे परिधान में नियुक्त कर प्रभावी गश्त/पिकटिंग एवं चेकिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये। इस कार्य हेतु महिला थाना प्रभारी को भी लगाया जाये।
4. इस प्रकार की संवेदनशील ड्यूटियों के लिए थानों में उपलब्ध डिजीटल कैमरा के प्रयोग पर भी विचार कर लिया जाये।
5. नगर नियंत्रण कक्ष के फोन नम्बर एवं डायल 100, महिला हेल्पलाइन-1090 का भली-भाँति प्रचार-प्रसार कराया जाये एवं इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर

6. छात्राओं/महिलाओं के साथ छेड़खानी आदि अपराध होने की सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी द्वारा तत्परता से पुलिस पार्टी भेज कर आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करायी जाये और इस प्रकार की घटनाओं को कारित करने वालों के विरूद्ध प्रभावी विधिक कार्यवाही करायी जाये।
7. क्षेत्राधिकारी द्वारा भी अपने क्षेत्र में समय-समय पर आकस्मिक चेकिंग कर इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही करायी जाये। आवश्यकतानुसार महिला विद्यालयों, कालेजो एवं अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के प्रबन्धन समिति से समन्वय भी स्थापित कर लिया जाये।
8. यह भी उचित होगा कि जिन क्षेत्रों में छेड़खानी की घटनायें हो रही हैं, उनका विस्तृत अध्ययन कर प्रभावी कार्ययोजना बनायी जाये, जिससे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और छेड़खानी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लग सके।
9. महिला पुलिस थानों को इस दिशा में महिलाओं के प्रति घटित अपराधों के नियंत्रण कार्ययोजना बनाकर तत्परता से क्रियाशील किया जाये।

4- अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि आप सभी अपने-अपने जनपद में छात्रओं/महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों विशेषकर छेड़खानी/छींटाकशी आदि की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम हेतु अपने अधीनस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अवगत कराते हुए इन अपराधों की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

(डा0 के0एस0प्रताप कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक, इलाहाबाद जोन
इलाहाबाद ।

पत्रांकः एजेड/रीडर-निर्देश/2016
दिनांकः इलाहाबाद, अक्टूबर 2, 2016

प्रतिलिपि पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र इलाहाबाद/चित्रकूट धाम बाँदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।